न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला–(डीडवाना–कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनील कुमार -I, (RAS)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 191/2022 (GCMS 2022/395)

प्रार्थीगण

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र बोदूराम जाति जाट आयु 53 वर्ष निवासी ग्राम पदमपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन राज.
2. माधुराम पुत्र रूड़ाराम जाति जाट आयु 66 वर्ष निवासी ग्राम पदमपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन राज.

बनाम

अप्रार्थीगण

1. कमलादेवी पत्नी मंगाराम जाति बावरी निवासी बावरियो का मोहल्ला, झालरा तालाब भाटीपुरा मकराना जिला डीडवाना–कुचामन राज.
2. विनोद पुत्र मंगाराम जाति बावरी निवासी बावरियो का मोहल्ला, झालरा तालाब भाटीपुरा मकराना जिला डीडवाना–कुचामन राज.
3. हेमलता पुत्री मंगाराम जाति बावरी निवासी बावरियो का मोहल्ला, झालरा तालाब भाटीपुरा मकराना जिला डीडवाना–कुचामन राज.
4. माधुराम पुत्र मंगाराम जाति बावरी निवासी बावरियो का मोहल्ला, झालरा तालाब भाटीपुरा मकराना जिला डीडवाना–कुचामन राज.
5. गिरीराज पुत्र मंगाराम जाति बावरी निवासी बावरियो का मोहल्ला, झालरा तालाब भाटीपुरा मकराना जिला डीडवाना–कुचामन राज.
6. दुर्गा पुत्री मंगाराम जाति बावरी निवासी बावरियो का मोहल्ला, झालरा तालाब भाटीपुरा मकराना जिला डीडवाना–कुचामन राज.
7. डाली पुत्री मंगाराम जाति बावरी निवासी बावरियो का मोहल्ला, झालरा तालाब भाटीपुरा मकराना जिला डीडवाना–कुचामन राज.
8. उप पंजीयक कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन राज.
9. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी) तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन राज.
10. दीपक झाला पुत्र फूलचन्द झाला जाति मेघवाल निवासी बावरियो का बास, खारियो रोड़, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन राज.

प्रार्थना–पत्र बाबत दिलाने रास्ता अन्तर्गत धारा 251 (A) राज. काश्त. अधि. 1955

उपस्थित – श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
श्री श्री मोहनलाल अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 से 7 की ओर से।
श्री अशोकपुरी अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 10 की ओर से।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2024.12.13 11:43:36 IST
Reason: SelfAttested

दिनॉक :– 28/11/2024

प्रस्तुत प्रकरण का सार [illegible] है कि ग्राम पदमपुरा पटवार मण्डल सरगोठ तहसील कुचामनसि[illegible] जिला डीडवाना–कुचामन राज. की स[illegible] में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 225 रकबा 1.49 हैक्टर, [illegible]रा नम्बर 226 रकब[illegible] हैक्टर कुल रकबा 2.81 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण की सह खातेदार में दर्ज चली आ रही है। प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना–कुचामन) सत्यमेव जयते
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

खसरा नम्बर 225, 226 के दक्षिणी तरफ की भूमि में आने जाने के लिये कोई रास्ता नही है, ऐसे ही खसरा नम्बर 1543/229 की भूमि से मुख्य सड़क तक आपसी सुविधानुसार आना–जाना करते है, प्रार्थी की भूमि से मुख्य सड़क से नजदीक खसरा नम्बर 1543/229 लगता है। खसरा नम्बर 1543/229 में नक्शे में वर्णित अनुसार **A** से **B** तक 5 मीटर चौड़ा आने आने जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता है, जिससे प्रार्थीगण अपने खेत व भूमि तक आने जाने कि सुविधा हो सके, ट्रेक्टर गाड़ी मवेशियान आदि लाने ले जाने में कोई असुविधा नही हो, इसलिए रास्ते की आवश्यकता है। उपरोक्त भूमि में खसरा नम्बर 225, 226 की भूमि में आने जाने के लिए ासरा नम्बर 1543/229 के बीच दक्षिणी तरफ नजरी नक्शे में वर्णितअनुसार 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता कायम किया जाने की आवश्यकता है, इसके अलावा प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है, इसलिए रास्ते का प्रार्थना–पत्र लाना आवश्यक हुआ। उपरोक्त प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 225, 226 में आने जाने के लिए सरकारी रास्ते से लगते हुए खसरा नम्बर 1543/229 के बीच दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे 5 मीटर चौड़ाई का गै.मु.रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है, जिसकी सरकारी डी.एल.सी. दर से मुआवजा नियमानुसार प्रार्थीगण जमा कराने के लिए तैयार है व जहॉ से ज्यादा नजदीकी रास्ता बनता है वो दिलाया जावें। प्रार्थी की इस्तदुआ है कि ग्राम पदमपुरा पटवार मण्डल सरगोठ तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 225 रकबा 1.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 226 रकबा 1.32 हैक्टर कुल रकबा 2.81 हैक्टर भूमि में आने जोन के लिए खसरा नम्बर 1543/229 के दक्षिणी तरफ के सहारे–सहारे 5 मीटर चौड़ाई का गै.मु.रास्ता कायम कर नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जाने का आदेश तहसीलदार कुचामनसिटी को प्रदान करावें, प्रार्थी सरकारी डी.एल.सी. दर से जो मुआवजा बनता है, प्राथीगण अदा करने को तैयार है।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 से 7 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थी सं. 8 एवं 9 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्ध एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार कुचामनसिटी के पत्रांक/राजस्व/2023/450 दिनॉक 05.07.2023 द्वारा पटवारी हल्का सरगोठ एवं भू.अ.निरीक्षक मण्डावरा द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनॉक 29.03.2022 को तैयार सुदा इस न्यायालय में प्रस्तुत की। मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता की भूमि खसरा नम्बर 1543/229 में से 0.0330 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 228 में से 0.0560 हैक्टर कुल रकबा 0.0890 हैक्टर भूमि प्र[illegible] रास्ते हेतु बताई गई। प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 228 के खाते[illegible] झाला जाति मेघवाल निवासी कुचामनसिटी को प्रार्थना–पत्र [illegible] नियम 10 सी.पी.सी. प्रस्तुत करने पर बाद सुनवाई स्वीकार कर दीपक झाला को [illegible]प्रार्थी संख्या 10 संयोजित किया जाकर जरिये नोटीस तलबी की गई। बावजूद इतला अप्रार्थी दीपक झाला अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्ध एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी दीपक झाला की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2024.12.13 11:43:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 7 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत होने पर बाद सुनवाई एक–पक्षीय कार्यवाही अपास्त की गई। दीपक झाला की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये। जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर पश्चात जवाब प्रस्तुत नही करने पर अप्रार्थी दीपक झाला का जवाब अवसर बन्द किया गया।

मौखिक साक्ष्य में पक्षकारान की ओर से चालू जमाबंदी नकल सम्वत 2073–2076 खाता खं. 1, 47, 105, 106 नक्शा ट्रेस की नकल प्रस्तुत हुई।

अप्रार्थीगण 1 ता 7 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 225, 226 के सभी खातेदारो को पक्षकार नही बनाया है, चूँकि प्रार्थीगण खसरा नम्बर 225, 226 के अकेले खातेदार नही होकर अन्य कई व्यक्ति खातेदार है, प्रार्थीगण यदि उक्त भूमि में अकेले रास्ता चाहते है तो पहले भूमि का तकासमा करवाकर अपना हक हिस्सा अलग करवाना चाहिए, इसलिए प्रश्नगत भूमि के सभी व्यक्ति प्रार्थीगण नही होने से उनके अभाव में उक्त आवेदन कानूनन चलने योग्य नही हो से इसी आधार पर खारिज योग्य है। प्रार्थीगण की भूमि में पहुंच मार्ग हेत न्यूनतम दूरी का रास्ता खसरा नम्बर 238 मे से होकर रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 239 में से रिकार्ड से आना प्रमाणित है, धारा 251 ए आर.टी.एक्ट के तहत रास्ते के लिए न्यूनतम दूरी पर स्थित रास्ते से ही पहुंच मार्ग दिया जा सकता है, दूरगामी रासते से पहुंच मार्ग नही दिया जा सकता है, प्रार्थीगण ने जो रास्ता मिन अप्रार्थीगण की भूमि में से चाहा है व अधिक दूरी का रास्ता है जिसकी प्रार्थीगण के द्वारा खसरा नम्बर 238 में से होकर खसरा नम्बर 239 तक न्यूनतम दूरी का रास्ता उपलब्ध है जिससे प्रार्थीगण अपनी भूमि में आते जाते है, इसलिए कानूनन अप्रार्थीगण की भूमि में से प्रार्थीगण रास्ता प्राप्ति के अधिकारी नही है, इस कारण प्रार्थीगण का उक्त आवेदन इस आधार पर खारिज योग्य है।

तहसीलदार कुचामनसिटी अपने पत्रांक/राजस्व/2023/450 दिनॉक 05.07.2023 को फर्द मौका रिपोर्ट दिनॉक 29.03.2023 प्रस्तुत कर कथन किया है कि उपरोक्त भूमि का मौका देखा गया तथा नजरी नक्शा तैयार किया गया, जिसके खसरा नम्बर 1543/229 में से रकबा 0.0330 हैक्टर, खसरा नम्बर 228 मे से 0.0560 हैक्टर कुल रकबा 0.0890 हैक्टर भूमि प्रस्तावित रास्ते हेतु की गई है। अप्रार्थी वकील द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट चाहने बाबत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर दोनो पक्षो की सुनवाई पश्चात इस न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/74 दिनॉक 21.03.2024 द्वारा तहसीलदार कुचामनसिटी से मौका रिपोर्ट चाही गई। जिन्होने अपने पत्रांक/राजस्व/2024/574 दिनॉक 17.05.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट दिनॉक 10.05.2024 तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर कथन किया है कि A से B तक कुल लम्बाई 210 मीटर (प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में मांग की गई है, C से D कुल लम्बाई 188 मीटर (मौके पर रिकार्ड में निकटतम दूरी (मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण द्वारा सहमती प्रदान करने पर प्रस्तावित C से D रास्ता)। प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पदमपुरा के खसरा नम्बर 225, 226 की अपनी संयुक्त जोत में आने जाने हेतु अन्य पड़ौसी खातेदारी में से 5 मीटर चौड़े रास्ते की मांग की गई है, उपस्थित प्रार्थीगण एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2024.12.13 11:43:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (कुचामनसिटी) (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

अप्रार्थीगण व अन्य मौतबिरान के समक्ष राजस्व रेकार्ड व मौका कब्जा काश्त का अवलोकन करने के पश्चात नजरी नक्शे अनुसार मार्क C से D तक कुल 188 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण व अन्य की सहमती के बाद प्रस्तावति है जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

खसरा नम्बर 1543/229 में से 78 मीटर X 5 मीटर = 390 वर्ग मीटर

खसरा नम्बर 228 में से 110 मीटर X 5 मीटर = 550 वर्ग मीटर कुल 940 वर्ग मीटर।

उक्तानुसार मौका रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित को पढ़कर सुनाई गई एवं बाद सभी की सहमती के हस्ताक्षर/अंगूष्ठ निशान करवाये गये।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई, प्रार्थीगण वकील ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित मांग अनुसार दिनॉक 10.05.2024 को प्रस्तुत पुनः मौका रिपोर्ट मौका रिपोर्ट दिनॉक 10.05.2024 अनुसार ग्राम पदमपुरा के खसरा नम्बर 225, 226 की अपनी संयुक्त जोत में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 1543/229 में से 78 मीटर X 5 मीटर = 390 वर्ग मीटर खसरा नम्बर 228 में से 110 मीटर X 5 मीटर = 550 वर्ग मीटर कुल 940 वर्ग मीटर डी.एल.सी. दर से देय मुआवजा रास्ता दिये जाने का कथन किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्षकारान द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 225, 226 में आने जाने हेतु ग्राम पदमपुरा के खसरा नम्बर 225, 226 की अपनी संयुक्त जोत में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 1543/229 में से 78 मीटर X 5 मीटर = 390 वर्ग मीटर खसरा नम्बर 228 में से 110 मीटर X 5 मीटर = 550 वर्ग मीटर कुल 940 वर्ग मीटर मे से रास्ता चाहा गया है, जिसके लिय मुआवजा राशि राज्य सरकार द्वारा जारी डी.एल.सी. दर एवं निर्देशो अनुसार अदा करने को तैयार है।

प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ग्राम पदमपुरा पटवार मण्डल सरगोठ तहसील कुचामनसिटी खसरा नम्बर खसरा 225, 226 में आमद रफत एवं आने जाने व मवेशी, गाड़ी ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जोन के लिए फर्द मौका दिनॉक 10.05.2024 अनुसार खसरा नम्बर 1543/229 में से 78 मीटर लम्बाई X 5 मीटर चौड़ाई = 390 वर्ग मीटर, खसरा नम्बर 228 में से 110 मीटर लम्बाई X 5 मीटर चौड़ाई = 550 वर्ग मीटर कुल 940 वर्ग मीटर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में पहुंचने तक सही रहेगा। जिसकी पुष्टि मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि से होती है, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कुचामनसिटी को [illegible] यह आदेश अनुसार राजस्व रेकार्ड में सरकारी रास्ता दर्ज कर पालना करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2024.12.13 11:43:36 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम पदमपुरा पटवार मण्डल सरगोठ तहसील कुचामनसिटी खसरा नम्बर खसरा 225, 226 में आमद रफत एवं आने जाने व मवेशी, गाड़ी ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जाने के

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

लिए फर्द मौका दिनॉक 10.05.2024 अनुसार खसरा नम्बर 1543/229 में से 78 मीटर लम्बाई X 5 मीटर चौड़ाई = 390 वर्ग मीटर, खसरा नम्बर 228 में से 110 मीटर लम्बाई X 5 मीटर चौड़ाई = 550 वर्ग मीटर कुल 940 वर्ग मीटर भूमि राजकीय कटाणी रास्ता घोषित किया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त रास्ते के एवज में प्रार्थीगण से नियमानुसार नवीनतम प्रचलित डी.एल.सी. दर की दोगुनी राशि राजकोष में जमा करवाने पर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में गै.मु.रास्ता अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम करें एव उक्त राशि को संबंधित पक्षकार/खातेदार को उसके हक हिस्से की कम हुई भूमि के एवज में अदा करे। मौका रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनॉक 28/11/2024 को सरे इजलास सुनाय गया।

(श्री सुनील कुमार -I, (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी (सत्यमेव जयते) कुचामनसिटी (डीडवाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2024.12.13 11:43:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला–(डीडवाना–कुचामन) राज.

क्रमांक/कोर्ट/2024/310 दिनॉक :– 28/11/2024

प्रेषित :– तहसीलदार
कुचामनसिटी

विषय :– राजस्व प्रार्थना–पत्र सं. 191/2022 **GCMS No. 2022/395** राजेन्द्र कुमार बनाम कमलादेवी वगैरह रास्ता दिलाने बाबत में पारित आदेश की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के राजस्व प्रार्थना–पत्र सं. 191/2022 **GCMS No. 2022/395** राजेन्द्र कुमार बनाम कमला देवी वगैरह में आदेश पारित किया गया है। जिसकी छाया प्रति भिजवाई जा रही है। माफिक आदेश पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

संलग्न :– आदेश की प्रति

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2024.12.13 11:43:36 IST
Reason: SelfAttested